संख्या-241/2023/1636/22-2-2022-17(376)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 24 मई, 2023*

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामशंकर पुत्र श्री भुंवर तिवारी, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामशंकर पुत्र श्री भुंवर तिवारी, जो छपिया मंझरिया, थाना-मुण्डेरवा, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.09.1982 को आपस में कहा सुनी होने लगी, जिसे सुनकर दोनों तरफ से काफी लोग इकट्ठा हो गये और आपस में लड़ने झगड़ने लगे, जिससे शिवराज को काफी चोट के कारण मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-222/1984 में भा0द0वि0 की धारा 148, 323/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05, बस्ती के आदेश दिनांक 17.02.1987 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.09.2019 द्वारा धारा-304 भाग-2 आई0पी0सी0 में आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत करते हुए 05 वर्ष की सजा में परिवर्तित किया गया, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 24.08.2020 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.02.2022 तक 09 माह, 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा अपरिहार 09 माह 05 दिन तथा सपरिहार 10 माह 15 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामशंकर (बन्दी संख्या-91/2021) पुत्र श्री भुंवर तिवारी, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-241/2023/1636(1)/22-2-2022 तददिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in